

E-mail : gdckapoori2018@gmail.com

PROSPECTUS

राजकीय मॉडल महाविद्यालय

कपूरी गोविन्दपुर (सहारनपुर) 125

(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध)

Available Courses : B.A./B.Com./B.Sc.

पीएम ने किया राजकीय मॉडल
महाविद्यालय का लोकार्पण



सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा

सहारा



राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की
सहायता से

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

द्वारा राजकीय मॉडल महाविद्यालय, कपूरी गोविन्दपुर, सहारनपुर

का लोकार्पण कीर्तिका कार्यक्रम में सम्पन्न की

दिनांक 03 फरवरी 2019 (रविवार) को किया जायेगा।

कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति प्राथमिक है।

कार्यक्रम स्थान : राजकीय मॉडल महाविद्यालय

कपूरी गोविन्दपुर (सहारनपुर)

समय : अपराह्न 03.45 बजे

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

आतिथ्य : डॉ. लज्जत

विवरणिका

राजकीय मॉडल महाविद्यालय, कपूरी गोविंदपुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

मानव-जीवन के विकास-क्रम को गति देने में शिक्षा और संस्कारों का अप्रतिम योगदान है। देश और समाज की विकास-यात्राओं और उनके कीर्तिमान को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा ही वह सोपान है, जिससे कोई भी देश या समाज अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर सकता है, अपने मंतव्य-गंतव्य को पा सकता है और स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला स्थापित कर सकता है। इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद के दूरस्थ और उत्तराखंड की सीमा से सटे ग्राम कपूरी गोविंदपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का शुभ संकल्प लिया और इसी जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत 29 अप्रैल 2015 को उच्च शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 1093/सत्तर-5-2015-70(32)/2014 के माध्यम से कपूरी गोविंदपुर ग्राम में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में बी०ए० /बी०एस-सी० / बी०कॉम० कक्षाओं से युक्त सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान की। भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत स्थापित हुए इस महाविद्यालय से अत्यंत पिछड़े क्षेत्र के विकास और सपनों को नए पंख मिले। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश से स्थापित इस महाविद्यालय के भव्य भवन का निर्माण आरंभ हुआ और यह क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि मॉडल महाविद्यालय के रूप में स्थापित महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावासों का निर्माण किया गया है। छात्रों के लिए 60 एवं छात्राओं के लिए 39 बेड की व्यवस्था की गई है।

क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था को उस समय विशेष पहचान और ख्याति मिली, जब 3 फरवरी 2019 को नवनिर्मित भवन का डिजिटली लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोकार्पण समारोह का यह आयोजन महाविद्यालय के पुस्तकालय भवन में गरिमा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबंधित महाविद्यालय को सत्र 2016-17 से तीन वर्षीय अस्थायी संबद्धता प्राप्त हुई, किंतु शैक्षिक सत्र 2018-19 से प्रथम वर्ष की कक्षाएं संचालित हुईं तथा बी०ए० /बी०एस-सी० / बी०कॉम० प्रथम वर्ष में 125 छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया। सत्र 2019 -20 से आगामी वर्षों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबद्धता प्राप्त हो चुकी है।

संप्रति महाविद्यालय में कला संकाय के अंतर्गत बी०ए० में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान एवं मनोविज्ञान, विज्ञान संकाय के अंतर्गत बी०एस-सी० में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में बी०कॉम० की कक्षाएं संचालित हैं।

पाठ्यक्रम एवं विषय विकल्प

स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में बी०ए० (त्रिवर्षीय), बी०एस-सी० (त्रिवर्षीय) एवं बी०कॉम० (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषयों का चयन निम्नवत् होगा-

1. आधारभूत पाठ्यक्रम (Foundation Course)-

स्नातक प्रथम वर्ष (समस्त संकाय) हेतु - भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रगौरव। इसमें भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से संबंधित पाठ्यक्रम भी समाहित होगा।

स्नातक द्वितीय वर्ष (समस्त संकाय) हेतु- Language Communication and Writing Skill, हिंदी (कोड - 011), अंग्रेजी (कोड - 012), संस्कृत (कोड - 013) में से किसी एक आधारभूत पाठ्यक्रम का चुनाव करना होगा, भले ही उसने मुख्य विषय के रूप में भी उक्त विषय लिया हो।

सभी वर्षों/कक्षाओं के आधारभूत पाठ्यक्रम के प्राप्तांक परीक्षाओं के श्रेणी-निर्धारण हेतु प्राप्तांको में जोड़े जाएंगे।

2. अर्हता पाठ्यक्रम (Qualifying Course) - स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (समस्त संकाय) की छात्राओं के लिए "खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा" विषय का अध्ययन अनिवार्य है। स्नातक स्तर पर समस्त संकायों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) की छात्राओं के लिए "पर्यावरण अध्ययन" विषय अनिवार्य है। इस प्रश्न-पत्र में "प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण-संरक्षण" का पाठ्यक्रम भी समाहित होगा।

स्नातक द्वितीय वर्ष (समस्त संकाय) "सामान्य जागरूकता" अर्हता पाठ्यक्रम (Qualifying Course) के रूप में है। इसमें (Indian Society and Political System, Health, General Science) तथा Indian Economy and Management से संबंधित पाठ्यक्रम को केवल उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

3. वैकल्पिक विषय (Optional Subjects)

स्नातक स्तर: कला संकाय

उपर्युक्त अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन अनिवार्य है -

- a. हिंदी,
- b. अंग्रेजी,
- c. इतिहास,

महाविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

- d. गृहविज्ञान,
- e. अर्थशास्त्र,
- f. राजनीति विज्ञान ,
- g. मनोविज्ञान।

स्नातक स्तर: वाणिज्य संकाय

स्नातक स्तर: विज्ञान संकाय

जीव विज्ञान वर्ग

- a. रसायन विज्ञान,
- b. जंतु विज्ञान,
- c. वनस्पति विज्ञान

गणित वर्ग

- a. भौतिक विज्ञान,
- b. रसायन विज्ञान,
- c. गणित

प्रवेश संबंधी नियम

प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश-समिति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा उत्तर प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार प्रवेश-प्रक्रिया संपादित करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम प्रवेश तिथि के पश्चात कोई प्रवेश संभव नहीं होगा।

1. प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
2. अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 27 % सीट आरक्षित रहेंगी।
3. प्रवेश आवेदन-पत्र विवरणिका सहित कार्यालय कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को अपनी प्राप्तांक तालिका व प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रवेश - समिति को साक्षात्कार के समय दिखानी होंगी तथा टी० सी० एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रवेश आवेदन के साथ जमा करना होगा।

5. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की छाया-प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, जो प्रवेशार्थी द्वारा स्वप्रमाणित होंगी -

- a) उत्तीर्ण की गई पिछली परीक्षाओं की अंकतालिकाएँ।
- b) हाईस्कूल, इंटरमीडिएट की सनद (प्रमाण-पत्र)।
- c) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी० सी०)।
- d) अंतिम विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र। जिन प्रवेशार्थियों ने अंतिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है, उनके लिए सेवारत राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
- e) पासपोर्ट साइज के चार फोटो, परिचय-पत्र हेतु एक फोटो अपने पास सुरक्षित रखें।
- f) अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थी अपने पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन) अनिवार्य रूप से जमा करें।
- g) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएं प्रवेश आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र एवं नवीनतम आय प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करें।

6. प्रवेश-संबंधी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर देखें तथा निर्देशानुसार शुल्क जमा करें। निर्धारित तिथि में शुल्क जमा न किए जाने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

7. विषयों का चयन सोच-समझकर करें, एक बार विषय चुन लिए जाने पर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. प्रवेश-आवेदन की प्रविष्टियाँ सुस्पष्ट हों। जो प्रविष्टियाँ उन पर लागू नहीं हैं, उन प्रविष्टियों में क्रॉस (X) का निशान लगा दें। अशुद्ध एवं अपूर्ण आवेदनों को निरस्त माना जाएगा।

9. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

10. प्रवेश-समिति की संस्तुति के आधार पर प्रवेश स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य को होगा, जो अंतिम और सर्वमान्य होगा।

11. विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु समस्त प्रवेशों पर लागू होंगे-

- a) सरकारी अथवा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर उनके पाल्य का प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थान उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

- b) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- c) शैक्षिक अंतराल (गैप) के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति, छात्रा कल्याण कोष

- a) शासकीय महाविद्यालय होने के कारण महाविद्यालय में शुल्क अपेक्षाकृत कम है। कक्षावार शुल्क का निर्धारण शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।
- b) छात्रवृत्ति एवं शुल्क अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को शासन के नियमानुसार प्रतिपूर्ति देय होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं, जिनके अभिभावकों की आय ढाई लाख वार्षिक है, उन्हीं छात्र-छात्राओं को शुल्क में छूट मिलेगी।
- c) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के प्रवेश के समय जाति, आय व मूल निवास के कंप्यूटराइज प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

छात्र/छात्राओं के लिए अनुशासन संबंधी आचार-संहिता

1. महाविद्यालय परिसर में पूर्ण शांति एवं अनुशासन बनाए रखें। महाविद्यालय में गठित शास्ता मंडल द्वारा निर्मित आचार संहिता का पालन प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना करने वाले छात्र-छात्रा उचित दंड के भागी होंगे।
2. छात्र-छात्राओं के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को अनुशासक पूर्णतः सक्षम है। छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अनुशासन-मंडल से संपर्क कर सकते हैं।
3. छात्र-छात्राएं प्रतिदिन अपना परिचय-पत्र साथ रखें, जिसका निरीक्षण अनुशासन - मंडल द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
4. छात्र-छात्राओं द्वारा परिसर अथवा कक्षाओं में बाहरी व्यक्ति, अवांछनीय तत्वों, अस्त्र-शस्त्र, मादक पदार्थों को साथ लाना प्रतिबंधित है। नियम का पालन नहीं करने पर महाविद्यालय से निष्कासन अथवा कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय से प्राप्त पुस्तकों को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। पुस्तक या पत्रिका को नष्ट करना अतिनिंदनीय कार्य है, जिसके लिए छात्र /छात्रा को आर्थिक दंड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरुता के अनुसार उनकी पुस्तकालय सहायता भी समाप्त की जा सकती है।
6. छात्र/छात्रा को अपनी साइकिल में ताला लगा कर रखना चाहिए। साइकिल की सुरक्षा स्वयं छात्र/छात्रा का उत्तरदायित्व है।
7. महाविद्यालय के सौंदर्यकरण, स्वच्छता एवं विकास में सकारात्मक योगदान प्रत्येक छात्र/छात्रा का नैतिक दायित्व है। महाविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाना, फूल-पत्ती तोड़ना, गंदगी फैलाना, दीवार व ब्लैक बोर्ड पर अनावश्यक लिखना या इन सभी कार्यों के लिए दूसरों को उकसाना दंडनीय अपराध है।
8. प्राचार्य की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार के टूर अथवा पिकनिक पर जाना वर्जित है। छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से अनुरोध है कि जब छात्र/छात्रा कॉलेज की ओर से टूर अथवा पिकनिक पर जाने की अनुमति मांगे तो अभिभावक को चाहिए कि वह प्राचार्य से मिलकर यह जानकारी प्राप्त कर लें कि प्रस्तावित टूर कॉलेज द्वारा स्वीकृत है अथवा नहीं।
9. महाविद्यालय में रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय-महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाए जाने पर बिना कारण बताए प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

महाविद्यालय परिवार

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	डॉ० विपिन कुमार गिरि	प्राचार्य
2	डॉ० मनीष कुमार अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर - वाणिज्य
3	डॉ० लता शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर - भौतिक विज्ञान
4	डॉ० त्रिसुख सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर - राजनीति विज्ञान
5	डॉ० रेनू रानी	असिस्टेंट प्रोफेसर - वनस्पति विज्ञान
6	डॉ० पूर्णिमा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर - गृहविज्ञान
7	डॉ० धीर सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर - गणित
8	डॉ० नितिन कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर - वाणिज्य
9	डॉ० मदन पाल सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर - अंग्रेजी
10	डॉ० प्रशांत कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर - रसायन विज्ञान
11	डॉ० शैलेंद्र कुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर - मनोविज्ञान
12	रिक्त	असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, वाणिज्य (एक पद), रसायन विज्ञान,
13	रिक्त	प्रधान सहायक
14	रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (5 पद)
15	रिक्त	वरिष्ठ सहायक
16	श्री अंकुर कुमार	कनिष्ठ सहायक
17	श्री रजत कुमार जैन	कनिष्ठ सहायक
18	रिक्त	प्रयोगशाला परिचर (5 पद)
19	रिक्त	कार्यालय परिचर/अर्दली/ पुस्तकालय परिचर/स्वीपर/चौकीदार